198

कार्यालय, भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर ।
{जयपुर विकास प्राधिकरण - भवन}

क्रमांक: भू. अ./नवि./91/-------- दिनांक/ 25/4/91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर {पृथ्वीराज नगर योजना} हेतु भूमि अवाप्ति का अवार्ड पारित करने के बाबत।

मुकदमा नम्बर :.

1- 539/88
2- 531/88
3. 523/88
4- 538/88
5- 553/88

:. अ वा र्ड :.

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि को अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 {1984} का केन्द्रीय अधिनियम संख्या - {1} की धारा - 4 {1} के तहत क्रमांक प-6 {15} नविआ/11/87 दिनांक 6.1.1988 तथा जिसका राजस्थान राजपत्र में दिनांक 7.7.88 को प्रकाशन कराया गया ।

2. भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा - 5 द की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा - 6 का गजट प्रकाशन पत्र क्रमांक प-6 {15} नविआ/3/87 दिनांक 28.7.1989 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र के भाग - 6 {ख} में दिनांक 31.7.89 को हुआ।

3. राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा - 6 का गजट प्रकाशन कराया गया, उसमें ग्राम मांग्यावास, तहसील, सांगानेर में अवाप्ति अधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मुकदमा नं०	खसरा नं०	अवाप्ति अधीन भूमि का रकबा बी. बि.	खातेदार/हितदार का नाम
1.	539/88	117	1-05	छीतर, जगदीश, बद्री, पुत्र लाला, जागिड़ ब्रा.
2.	531/88	75	20-10	छीतर, जगदीश, बद्री पु. लालाराम, गोविन्द
		76	3-00	पु. चन्दा खाती सा. देह.
			23-10	
3.	523/88	41	0-07	हरिनारायण उर्फ लल्लूराम पु. आनन्दी-लाल, कौम - ब्राहमण सा. देह
		44	1-03	
		49	0-09	
			1-19	

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

क्रमश:---------2/पर------

1.	2.	3.	4.	5.
4.	538/88	121	0-15	कान्या पुत्र बालु कौम खाती सा. देह
5.	553/88	233	18-12	अशोक कुमार, अनिल कुमार पु. भोम सिंह कौम जाट सा. देह

मुकदमा नम्बर: 539/88 खसरा नम्बर 117 :

धारा 6 के राजस्थान राजपत्र में ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 117 छीतर , जगदीश , बद्री पिता लाला जांगिड ब्राहमण के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 23.11.90 को जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस बद्रीनारायण बद्रीनारायण को सबकी ओर से तामिल कराये गये। तत्पश्चात शिवसिंह एडवोकेट दिनांक 27.12.90 को उपस्थित हुये और वकालतनामा पेश किया । तथा क्लेम पेश करने के लिये समय चाहा । अन्य खातेदारान / हितदारान के उपस्थित नहीं होने पर पुन: दिनांक 9.5.91 को रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी किये गये । ए0डी0 की प्राप्ति की रसीद तामिल होकर प्राप्त हो गई । छीतर की ओर से शिवसिंह एडवोकेट दिनांक 13.2.91, 10.6.91 , 13.6.91, 17.6.91 को उपस्थित होकर क्लेम पेश करने के लिये समय चाहा गया। समय दिये जाने पर दिनांक 18.6.91 को वकील खातेदार छीतर ने खसरा नम्बर 117 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का हिस्सा 1/3 हिस्से का क्लेम पेश किया । अन्य खातेदारान /हितदारान की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुये। अत: उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।छीतर की ओर से निम्न प्रकार से क्लेम पेश किया गया :-

1- खसरा नम्बर 117 रकबा 1 बीघा 5 बीस्वा ग्राम मांग्यावास के 1/3 हिस्से का रिकोर्ड खातेदार काश्तकार है । उक्त खसरा नम्बर की 1 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 3,780 वर्ग गज भूमि में से 1/3 हिस्सा है जो कुल 1260 वर्ग गज रकबा बनता है। नोटिफिकेशन के दिन इस भूमि की बाजार मूल्य करीबन 260/- रु. प्रति वर्ग गज से अधिक है। इस प्रकार प्रार्थी के हक की भूमि 1,260 व. गज 260/-रु. वर्ग फुट की दर से मुआवजा राशि 1,00,800/- रु. अक्षरे । लाख आठ सौ रुपये

2. केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत धारा 23(1) के अनुसार 7 जुलाई, 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से उक्त मुआवजा राशि 1,00,800/- रु. अतिरिक्त पाने का अधिकारी है।

3. यह कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 23(2) के अन्तर्गत राशि 1,00,800/- रु. पर 30 प्रतिशत अनिवार्य आवाप्ति चार्जेज पाने का अधिकारी है ।

----3/पर----

4. यह कि अवार्ड के पश्चात् केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9% वार्षिक की दर से एक वर्ष तक तथा एक वर्ष के पश्चात् 15% वार्षिक ब्याज भुगतान की तिथि xxxxxxxx तक पाने का अधिकारी है ।

5. हितधारी/क्लेम के 15,000 वर्ग मीटर भूमि का भूखण्ड रिजर्व प्राइजेज पेर दिये जाने का निवेदन किया है तथा 1200 वर्ग गज भूमि का पृथ्वीराज नगर में समायोजन बाबत भी निवेदन किया है । खातेदारान द्वारा क्लेम की ताईद में बाजार दर के लिए कोई भी विक्रय पत्र पेश नहीं किये है । तथा क्लेम की प्रति प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा को दी गई । प्राधिकरण अभिभाषक ने लिखित में कोई जवाब पेश नहीं किया तथा मौखिक रूप से कहा कि खातेदारान/हितदारान द्वारा उपरोक्त क्लेम की ताईद में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किये, न ही कोई विक्रय पत्र बाजार दर के लिए पेश किये गये है । हम प्राधिकरण अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा के इस कथन से सहमत है अतः खातेदारान/हितदारान द्वारा प्रस्तुत क्लेम बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जो निराधार है । अतः क्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना न्यायसंगत नहीं है ।

मुकदमा नम्बर 537/88 खसरा नम्बर 75, 76 :-

धारा 6 के राजस्थान राजपत्र में ग्राम मान्यावास तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 75, 76 छीतर, जगदीश, बद्री, पुत्र लालाराम, गोविन्दा पुत्र चन्दा खाती साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 23-11-90 को जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस सह कृषक गोविन्दराम पुत्र चन्दा ने सब की ओर से प्राप्त किये गये । दिनांक 27-12-90 को जगदीश, छीतर व गोविन्दा की ओर से शिवसिंह चौधरी एडवोकेट उपस्थित हुए और वकालतनामा पेश किया । क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा । समय दिये जाने पर दिनांक 17/1/91 को जगदीश, बद्री की ओर से क्लेम पेश किया तथा दिनांक 26-2-91 को रामगोपाल शर्मा व लक्ष्मनारायण शर्मा एडवोकेट जगदीश, बद्री की ओर से एडवोकेट उपस्थित हुए । वकालतनामा व क्लेम पेश किया । जिसकी प्रति प्राधिकरण अभिभाषक को दी गई ।

जगदीश द्वारा आपत्ति एवं क्लेम निम्न प्रकार

1. यह है कि प्रार्थी की भूमि ग्राम मान्यावास तहसील जयपुर जिसके ख0नं0 75, 76 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा एवं 76 ख0नं0 रकबा 3 बिघा किता 2 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा के हिस्से 1/4 का रिकार्ड खातेदार काश्तकार है ।

2. यह कि मद नं0 1 में वर्णित भूमि 23 बीघा 10 बिस्वा अर्थात् 71087.5 वर्ग गज भूमि में हिस्से 1/4 अर्थात् 17,772.1 वर्ग गज भूमि का मूल्य 100रु प्रति वर्ग गज की दर से

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास
जयपुर

 201

अर्थात 17,77,200/-रू० प्रति मुआवजा राशि जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट "ए" मे दिया गया है ।

3. यह है कि अवाप्ति दावा मद नं0 1 में वर्णित कृषि भूमि की सिंचाई के लिए बनाये गये कुए बोरिंग विद्युत पम्प सेट, विद्युत घुमटी आदि का मुआवजा 1,00,000/- रूपये ।

(2) होद 1, होदिया 4, पाईप 400 फुट का कुल मुआवजा राशि 4800/-रूपये

(3) मिट्टी की डोल, कुंये आदि 2500 फुट कुल मुआवजा राशि 3000/-रूपये

(4) पेड पोधों की मुआवजा राशि निम्न है :-

			आयु	राशि
(1)	नीबू	7	4वर्ष	2800/-रू.
(2)	केजड़ी	5	15वर्ष	4000/-रू.
(3)	आम	9	10 वर्ष	1000/-रू.
(4)	अरडू	3	3वर्ष	900/-रू.
(5)	सफेदा	4	3 वर्ष	1200/-रू.
(6)	अमरूद	2	3वर्ष	600/-रू.
(7)	आवला	1	3वर्ष	300/-रू.
(8)	कुम्जा	1	3वर्ष	300/-रू.
(9)	बबूल	2	2वर्ष	400/-रू.
				11500 /-रू.

4. पक्का नोहरा व मकान

(1) पुख्ता मकान2, 52x80=41609फुट =5,00,000/-रू.

(2) नोहरा एक " " " "

5. कच्चे घर 2 तथा पशुओं के छप्पर तीन छेड 50फुट= 19,000/-रू.

6. कृषि उपकरणों की उपयोगिताहीनता का मुआवजा कुली, ट्रेक्टर, थ्रीसर, पिलाई, हेरा, कराई, कुटी की मशीन, तांगा, आदि का मुआवजा =50,000/-रू.

7. पशुधन से आय की कमी का मुआवजा गाय3, बछड़ा1, भैंस 1, पाड़ी 1, कुल मुआवजा राशि = 2700/-रू.

8. 30% सोलेशियम, मुआवजा राशि पर देय ।

9. बेरोजगार हुए लोगों की आय का विवरण:-
आदमी4, औरते4, कुल राशि = 7,000/-रू.
इस प्रकार क्लेम वाद के विभिन्न मदो का योग 24,75,200/- रू.

10. 15% अनिवार्य अर्थात कुल मुआवजा राशि पर देय राशि

2. बद्री पुत्र लाला जागिड का मुआवजा राशि निम्न प्रकार से मांग की है :-

1. यह है कि प्रार्थी की भूमि ग्राम मुंग्यावास तहसील सांगानेर के ख0नं0 75, रकबा 20बिघा 10 बिस्वा, ख0नं076 रकबा 3बीघा कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा के हिस्से का रिकार्ड में खातेदार काश्तकार है ।

-----7/पर-----

2: यह कि मद नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि 23 बाघा 10 बिस्वा अर्थात 71087·07 वर्ग गज भूमि के हिस्से अर्थात 17,772 · 1 वर्ग गज भूमि का मूल्य 100 रुपये प्रति वर्ग गज बाजार दर से 17,77,200/- रु· की मांग की है।

3·	विद्युत पम्प सैट, बोरिंग की मुआवजा राशि	50,000/- रु·
4·	होद,होदियाँ,पाइप,घुमटी आदि का मुआवजा राशि	3,700/- रु·
5·	मिट्टी की डोल,कूंपे आदि का मुआवजा	4,000/- रु·
6·	वृक्ष,खेजड़ी 4 बंबूल 1 सफेदा 1 आंवला 1 अरडू 1	5,650/- रु·
7	पक्का मकान व नोहरा	
	﴾1﴿ नोहरा जाली 10×8 का मुआवजा	3,000/- रु·
	﴾2﴿ मकान आम 15×8	4,000/- रु·
8·	कृषि उपकरणों की उपयोग हीनता का मुआवजा	
	एक हल का मुआवजा	2,000/- रु·
9·	पशु भैंस 1 का मुआवजा	10,000/- रु·
	एवं बेरोजगार हुये लोगों की आय का	6,000/- रु·
	इस प्रकार कुल मुआवजा राशि:·	18,55,450/-

उपरोक्त क्लेम के साथ में भूमि विक्रय विलेख ग्राम पंचायत मांग्यावास का पट्टा, साइड प्लान तथा ओमप्रकाश, सत्यनारायण,सोहनलाल पुत्र जगदीश का पट्टा की नोटरी पब्लिक से प्रमाणित प्रति सैटलमेंट पर्चा,लगान खसरा गिरदावरी संख्या 2024 की पेश की है।

3· छीतर पुत्र लालाराम जाती :·

== ==================

प्रार्थी द्वारा आपत्तियां एवं निम्न प्रकार क्लेम/प्रस्तुत किये है।

यह है कि प्रार्थी हितधारी छीतर पुत्र लालाराम की कृषि भूमि ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 75 रकबा 20 बीघा [illegible] 10 बिस्वा में से 1/4 हिस्से का काबिज रिकार्ड खातेदार काश्तकार अंकित उसकेहिस्से हिस्से में 5 बीघा , 17 1/2 बिस्वा भूमि आती है। उपरोक्त भूमि को राज्य सरकार द्वारा अवाप्ति किया जाना दर्शाया गया है। अत: प्रार्थी की भूमि को अवाप्त किया जाता है तो भूमि का मुआवजा व पेड़-पौधे,स्टैक्चर्स आदि का मुआवजा निम्न प्रकार पाने का अधिकारी है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

1· मद में वर्णित कृषि भूमि 23 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 71,087·05 वर्ग गज में से 1/4 हिस्से अर्थात 17,772 वर्ग गज का 14,848 व· मीटर प्रार्थी रिकार्ड खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60 प्रतिशत भाग काम में

काम में लेने पर वर्ग मीटर दर 260 प्रति व. मीटर से 4,20,680/- रु. अंके चार लाख, बीस हजार, छः सौ अस्सी ।

2. यह कि प्रार्थी के खातेदारी की एवं हिस्से की भूमि 148589 वर्ग मीटर जिसका 40 प्रतिशत 5943 व. मीटर कम करने पर 8915 व. मीटर दर 260/- रुपये से 23,17,900/- रुपये ।

3. यह कि प्रार्थी को वार्षिक वर्णित कृषि भूमि की सिंचाई के लिये बनाये गये कुआ, विद्युत पम्प सैट, होद नाली एवं विद्युत कमटी आदि का मुआवजा मय बोरिंग मोटर: मय पम्पिंग मोटर: 3,18,000/-

1. बोरिंग पम्प 1-$\frac{1}{2}$- इंची एच.पी. मोटर व पाइप	92,000/-
2. भूमि की सुरक्षा हेतु मिट्टी का डोल	9,000/-
3. पानी धुले एवं कुम पापडी का मुआवजा	7,500/-
4. 3 पानी की छोटी होदी	9,000/-
5. जमीन गत सीमेंट पम्प 6 इंची 530 फुट	7,350/-
6. पशुओं के लिये बने कच्चे मकानात एवं छप्पर आदि 30×12 फुट	0,4500/-
	26,00,750/-

7. यह कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत धारा 23 (1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई, 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से मुआवजा राशि 26,00,750/- रुपये पर अतिरिक्त पाने का अधिकारी है। धारा 23 (2) के अन्तर्गत मुआवजा राशि 26,00,750/- रुपये पर 30 % अनिवार्य चार्जेज पाने का अधिकारी है।

8. । अवार्ड पश्चात केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 28 एवं उसके अनुसार 9 प्रतिशत वार्षिक दर से एक वर्ष तक तथा एक वर्ष बाद 15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान की तिथि तक पाने का अधिकारी है। साथ ही 1500 वर्ग मीटर का भू-खण्ड रिजर्व प्राईस पर देने की मांग की गई है।

(4) गोविन्दराम पुत्र चन्दा जाति जाट ,क्लेम निम्न प्रकार है :-

1. यह है कि प्रार्थी जिलाधारी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 20 बीघा, 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 76 रकबा 3 बीघा कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा ग्राम मांग्यावास में स्थित है।

2. उक्त 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 1/4 हिस्से का रिकोर्ड खातेदार काश्तगार है तथा खसरा नम्बर 75 में एक पुख्ता कुआ, चाह बनाकर गत 30 वर्ष से अपने हिस्से की भूमि को सिंचित बनाकर काश्त करता आ रहा है। उक्त चाह में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा रामेश्वर पुत्र चंदाराम जाती का है।

3. यह है कि उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी ने स्वयं का पुख्ता मकान भी बना रखा है जो मौके पर स्थित है। प्रार्थी के हिस्से में 23 बीघा 10 बिस्वा का 1/4 हिस्सा अर्थात 5 बीघा 17-$\frac{1}{2}$- बीघा भूमि आती है। जिसका कुल रकबा 14859 व. मी. है।

इस प्रकार प्रति बीघा 2529.28 व.मी. का 60 प्रतिशत =1618 वर्ग मीटर × 260/- रुपये = 4,20,680/- रुपये प्रति बीघा । अंके चार लाख, बीस हजार, छः सौ अस्सी रुपये प्रति बीघा बाजार भाव से मुआवजा पाने का अधिकारी है।

 204

4. यह कि प्रार्थी के खातेदारी एवं हिस्से की भूमि 14,859 व० मी० जिसके 40 % अर्थात 5.934 व० मीटर कम करने पर 8916 वर्ग मीटर भूमि का मुआवजा दर 260/- रुपये प्रति व० मीटर से 23,18,160/- रुपये।

खसरा नम्बर:	75	रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा
	76	रकबा 3 बीघा 00 बिस्वा
		23 बीघा 10 बिस्वा

कुल भूमि 23 बीघा 10 बिस्वा हिस्सा 1/4 , 5 बीघा 17-$\frac{1}{2}$--बीघा बिस्वा = 14,859 व० मी० 14,859 का 60 प्रतिशत = 8916 वर्ग मीटर। 8916 वर्ग मीटर ×260 रु० वर्ग मीटर = 23,18,160/-रुपये। न्यूनतम बाजार भाव की दर से।

5. यह है कि प्रार्थी वर्णित कृषि भूमि की सिंचाई के लिये बनाये गये कुआ, विद्युत सैट, हौद, विद्युत गुमटी आदि का मुआवजा जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

	अनुमानित बाजार भाव
(1) कुआ:- गहराई 92 फुट आर०सी०सी० चौडाई 8 फुट निर्माण बोरिंग 6" चोडा साढे सात हार्स पावर की मोटर पम्प विद्युत एवं पाइप सोढी सहित विद्युत गुमटी 3×2×4 फुट	3,00,000/-
होद: आर०सी०सी० निर्मित 6×4×5	6,000/-
	3,06,000/-

प्रार्थी का हिस्सा 1/2 , $\frac{3,06,000/-}{2}$ = 1,53,000/-

6.	भूमि की सुरक्षा हेतु मिटटी की डोल 6 फुट ऊंची 700 मी० लम्बी दर 45/- मीटर	31,500/-
7.	डोल पर लगे पानी पूलों का मुआवजा 700 पूले प्रतिवर्ष 5/- प्रति पूला	3,500/-
8.	3 सीमेंट से बनी पानी की होदियां लम्बाई 4 फुट चौडाई 4 फुट ऊंचाई 7 फुट	9,000/-
9.	जमीनगत सीमेंट पाइप लम्बाई 600 फुट चौडाई 6 इंची पर 8/- फुट मजदूरी	6,000/-
10.	मिटटी की डोल में लगे पानी के कुंओं का मुआवजा	6,000/-

--------8/पर--------

205

11. वृक्षों का मुआवजा :.

3 पेड़ शहतूत 20-25 वर्ष पुराने, दर 2,000/- रू. प्रति पेड़	6,000/-
7 पेड नीम, 7 वर्ष से 25 वर्ष, 300/-रू. प्रति पेड़ -	2,100/-
2 पेड़ खेजड़ा 35-40 वर्ष पुराने, 1,500/-रू. प्रति पेड़-	3,000/-
10 पेड बंबूल, 10 वर्ष से 25 वर्ष तक, 1,000/-रू. प्रति पेड़-	10,000/-
	25,18,760/-रुपये:

12. यह है कि प्रार्थी केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत धारा 23§1§ के अनुसार 7 जुलाई, 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12% वार्षिक दर से मुआवजा राशि 25,18,760/- रू. अतिरिक्त पाने का अधिकारी है।

13. यह कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 23 §2§ के अन्तर्गत मुआवजा राशि 25,18,760/-रू० पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति चार्ज पाने का अधिकारी है।

14. यह कि अवार्ड के पश्चात केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा28 व 34 के अनुसार 9 प्रतिशत वार्षिक दर की एक वर्ष तक तथा एक वर्ष के पश्चात 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान तिथि तक पाने का अधिकारी है।

15. यह कि हितधारी गोविन्दराम का अवाप्ति अधीन भूमि पर निवास हेतु पुख्ता मकान बना हुआ है जिसे पृथ्वीराज नगर योजना में समायोजित करते हुये प्रार्थी को निवास हेतु छोड़ दिया जावे क्योंकि प्रार्थी के पास निवास हेतु अन्यत्र कोई अभी मकान नहीं है । प्रार्थी ने अपने मकान का क्लेम इसलिए पेश नहीं किया है कि जिसकी अनुमानित कीमत 1,47,000/- रुपये अधिक है।

16. यह है कि प्रार्थी हितधारी के हक में मुआवजा राशि के अलावा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के तहत दिलाने वास्ते सभी न्यायोचित सुविधाएं प्रदान की जावे । क्लेम के साथ प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजात पेश किये हैं :-

§1§ नकल जमाबंदी सं0 2024 से 2027
§2§ फोटो प्रतिलिपि पट्टा आबादी बहक प्रार्थी दिनांक 5.6.69
§3§ विद्युत पम्पसेट बिल बहक प्रार्थी
§4§ निर्णय दिनांक 2.11.76 द्वारा तहसीलदार, सांगानेर । उपर्युक्त सभी हैं।

खातेदारान क्लेमेंट द्वारा आपत्तियां जो पेश की गई हैं , वे निराधार हैं क्योंकि यह आपत्तियां क्लेमेंट द्वारा धारा-5 ए की सुनवाई के समय पेश करनी चाहिये थीं। अत: आपत्तियां खारिज की जाती हैं।

उपर्युक्त सभी हिस्सेदारान द्वारा प्रस्तुत क्लेम की प्रति प्राधिकरण अभिभाषक को दी गई। प्राधिकरण अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने लिखित में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और मौखिक रूप से कहा कि खातेदारान द्वारा प्रस्तुत क्लेम की ताईद में कोई ठोस दस्तावेजात व प्रमाण-पत्र पेश नहीं किये और ना ही कोई विक्रय-पत्र बाजार दर के लिये पेश किये गये हैं और इसके अतिरिक्त स्ट्रैक्चर्स व पेड़-पौधों के लिये रजिस्टर्ड वैल्यूवर से प्रमाणित तखमीना भी प्रस्तुत नहीं किया है। हम प्राधिकरण के अभिभाषक के कथन से सहमत हैं तथा अभिभाषक प्राधिकरण का यह भी कथन है कि सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र क्रमांक जविप्रा/जोन-7/91/110 दिनांक 24.6.91 के साथ खसरा नम्बर 75 की भूमि में स्थित स्ट्रैक्चर्स का तखमीना प्रेषित किया है इसमें एक कुआ [illegible] है 25 वर्ष पुराना बताया है जिसकी कुल राशि 43,546/-रुपये और एक कुआ 5 वर्ष पुराना बताया है उसकी राशि 25,104/-रू. एवं पक्के मकान की राशि मुताबिक तखमीना 1,32,048/-रू. बताई है। इस प्रकार कुल राशि 2,00,698/-का तखमीना पेश किया है जो प्राधिकरण से प्राप्त तखमीना जो प्रमाणित है स्ट्रैक्चर्स का मुआवजा राशि तखमीने के अनुसार निर्धारण कर रहे हैं और खातेदारान द्वारा जो क्लेम बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया है निराधार मानते हुये उसके अनुसार मुआवजा राशि दि-या जाना न्यायसंगत नहीं है मानते हैं।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

-----9/पर-----

 206

मुकदमा नम्बर 553/88 खसरा नम्बर 233 :-

धारा 6 के राजस्थान राजपत्र में ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर, में खसरा नम्बर 233 , अशोक कुमार , अनिल कुमार पुत्र भोम सिंह कौम जाट, सा-देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान को दिनांक 1-12-90 को जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान द्वारा नोटिस लेने से मना करने पर दो ग्वाहों के सामने चस्पादंगी द्वारा नोटिस तामिल कराया गया। उपस्थित नहीं होने पर पुन: दिनांक 10-4-91 को धारा 9 व 10 का नोटिस खातेदारान/हितदारान व आपत्तिकर्ता , देना बैंक को जारी किये गये। देना बैंक को दिनांक 3-5-91 को तामिल हुआ एवं खातेदारान /हितदारान को चस्पादंगी द्वारा नोटिस तामिल हुआ। दिनांक 2-5-91 को शिवसिंह चौधरी, एडवोकेट उपस्थित हुये, वकालतनामा पेश किया तथा क्लेम पेश करने के लिय समय चाहा। समय दिये जाने पर दिनांक 17-6-91 को क्लेम पेश किया। देना बैंक को जारी रजिस्टर्ड ऐ0डी0 नोटिस डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता के यहां पर मौजूद नहीं रहता है के साथ वापस प्राप्त हुआ। आपत्तिकर्ता देना बैंक ने अपने पत्र दिनांक 1-9-88 के अनुसार खसरा नम्बर 233 ग्राम, मांग्यावास तहसील, सांगानेर 67,465/- बकाया बताये हैं। बैंक द्वारा मोरगेज (बंधक-पत्र) सम्बन्धित दस्तावेजात पेश नहीं किये गये हैं तथा खातेदारान/हितदारान की ओर से आपत्तियां व क्लेम निम्न प्रकार से पेश किया है।

1- यह है कि प्रार्थी-गण के खातेदारी की भूमि 18 बीघा 12 बिस्वा जिसकी 47,044 वर्ग मीटर भूमि बनती है। जिसमें 40 प्रतिशत अर्थात 18,817 वर्ग मीटर भूमि कम करने पर 28,227 वर्ग मीटर ×260/- रु० बाजार भाव से कुल मुआवजा राशि 73,39,020/- रू०

2- यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सिंचाई के लिये बनाये गये कुआ, विद्युत पम्प सैट आदि का मुआवजा निम्न प्रकार है।

3- कुआ गहरा - 105 फुट आर-सी-सी निर्मित
चौड़ाई 8 फुट
भूमिगत बोरिंग 6" इंच चौड़ा , लोहे की पाइप
गहराई 200 फिट — 3,00,000/- रु०
750 हार्स पावर की मोटर मय विद्युत कनेक्शन
एवं पाइप लाइन

विद्युत गुमटी का मुआवजा :-
लम्बाई 6 फिट — 10,000/- रु०
चौड़ाई 5 फुट
गहराई 7 फुट

4- कुए के पास बने होज का मुआवजा :-
लम्बाई 7 फुट
चौड़ाई 5 फुट — 8,000/- रु०
गहराई 4 फुट

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

 207

5. भूमि की सुरक्षा हेतु बनी मिट्टी की डोल का मुआवजा :-
ऊंचाई 5 फुट
लम्बाई 3,000 मीटर दर 45/- प्र. मीटर 1,35,000/- रू.
6. पानी पूले एवं कुम पातडी का मुआवजा 12,000/- रू.
7. वृक्षों का मुआवजा :-
10 पेड़ बंबूल 30 वर्ष से ~~30 वर्ष से~~ 5 वर्ष तक
दर 1,000/- रू. प्रति 4,20,000/- रू.
8. धारा कुआ व निर्माण हेतु बने नीटटयों के
बने मकान का मुआवजा :-
लम्बाई 30 फुट
चौडाई 15 फुट
मय 78 पटटी 10,000/= रू.

कुल मुआवजा 78,71,020/- रू.
राशि

9. यह कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई सन् 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से मुआवजा राशि 78,71,020/- रू. पर अतिरिक्त पाने का अधिकारी है तथा धारा 23 (2) के अन्तर्गत मुआवजा राशि पर 30 % अनिवार्य अवाप्ति वार्षिक पाने का अधिकारी है।

10. यह कि अवार्ड के पश्चात केन्द्रीय भूमि अवाप्ति 000 1894 की धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से एक वर्ष तक तथा एक वर्ष के पश्चात 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान की तिथि तक पाने का अधिकारी है। तथा 1500 वर्ग मीटर भूमि रिजर्व प्राइवेज पर दिये जाने की मांग की है।

उपरोक्त क्लेम के साथ आपत्तियां भी प्रस्तुत की गई हैं जो निराधार हैं क्योंकि क्लेमैंटस द्वारा यह आपत्तियां धारा 5(ए) की सुनवाई के समय पेश करनी चाहिये थीं। अतः आपत्तियां खारिज की जाती है तथा खातेदारान द्वारा प्रस्तुत क्लेम की एक प्रति प्राधिकरण के अभिभाषक को दी गई। प्राधिकरण अभिभाषक ने लिखित में जवाब प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया और मौखिक रूप से कहा कि खातेदारान/हितदारान द्वारा प्रस्तुत क्लेम की ताईद में कोई ठोस प्रमाण व दस्तावेजात व प्रमाण पेश नहीं किये और ना ही कोई विक्रय-पत्र बाजार दर के लिए पेश किये गये हैं तथा इसके अतिरिक्त स्टेक्चर्स व पेड़-पौधों के लिये रजिस्टर्ड वेल्युवर का तकमीना प्रस्तुत नहीं किया है। हम प्राधिकरण के अभिभाषक के इस कथन से सहमत है। अतः खातेदारान/हितदारान द्वारा प्रस्तुत क्लेम बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है जो निराधार है। अतः क्लेम के अनुसार मुआवजा दिया जाना न्याय संगत नहीं है।

मुकदमा नम्बर 538/88 खसरा नम्बर 121 :-

धारा 6 के राजस्थान राजपत्र में ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर में खसरा नम्बर 121, कान्या पुत्र बालू कौम खाती सा. देह के खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस

दिनांक 23.11.90 को जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराया गया। इसके पश्चात भी दावेदार/हितदार उपस्थित नहीं होने पर पुनः दिनांक 10.4.91 को रजि0 ऐ0डी0 एवं तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस धारा 9 व 10 का जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के पुत्र को नोटिस तामिल कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदार/हितदार के उपस्थित नहीं होने पर दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स समाचार-पत्र में नोटिस धारा 9 व 10 का प्रकाशित कराया गया। दिनांक 13.6.91 को खातेदार की ओर से श्यामलाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये, वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 20.6.91 एवं 22.6.91 को उपस्थित होकर क्लेम पेश करने के लिए अवसर चाहा गया। ~~समय दिये जाने पर भी क्लेम पेश करने के लिए अवसर चाहा गया।~~ समय दिये जाने पर क्लेम पेश नहीं किया। अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 523 खसरा नम्बर 41, 44, 49 :.

धारा 6 के राजस्थान राजपत्र में ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 41, 44, 49, हरिनारायण उर्फ लल्लू पुत्र आनन्दीलाल गौम ब्राह्मण सा.देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 का नोटिस दिनांक 20.11.90 को जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराया गया। खातेदार/हितदार के उपस्थित नहीं होने पर पुनः ~~बेबीबक~~ दिनांक 10.4.91 को धारा 9 व 10 का नोटिस जारी किया गया इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 18.4.91 को धारा 9 व 10 का नोटिस रजिस्टर्ड ऐ0डी0 जारी किया। तामिल होकर डाकघर से वापिस प्राप्त हो गई तथा खातेदार दिनांक 10.6.91 को उपस्थित हुआ और क्लेम पेश करने के लिये समय चाहा गया। दिनांक 13.6.91 को अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स में कराया गया। खातेदार की ओर से दिनांक 13.6.91 को श्री श्यामलाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया और क्लेम पेश करने के लिये समय चाहा, समय दिया गया। एडवोकेट दिनांक 20.6.91, 22.6.91 व 25.6.91 को न्यायालय में उपस्थित हुये, कि क्लेम पेश नहीं किया। अतः खातेदार के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात में सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 3.5.91 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये गये व चस्पा कराया गया।

8. मुआवजा निर्धारण :.

जहां तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6/15/नविआ/87 दिनांक 1.1.89 द्वारा मुआवजा निर्धारण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना में 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजे की राशि का निर्धारण नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11.2.91 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर तथा जयपुर विकास आयुक्त, एवं सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को भी निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कराली जावे। इसके उपरान्त समय समय पर आयोजित मिटिंग

में भी मुआवजा निर्धारण के लिये निवेदन किया गया। लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया।

9. इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामें में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशियेशन नहीं किया गया।

10. विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये हैं। उनमें कृषि भूमि मुआवजे निर्धारण का तरीका धारा- 4 के गजट नोटीफिकेशन के समय रजिस्ट्रियों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया है। पृथ्वीराज नगर योजना में धारा-4 का गजट नोटिफिकेशन 7.7.88 को हुआ था। इसलिए विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के परिपेक्ष्य में जुलाई, 1988 को विभिन्न उप-पंजीयकों के यहां पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन दर क्या थी। उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता।

11. जहां तक उपरोक्त खसरा नम्बरान के खातेदारान के मुआवजे का निर्धारण का प्रश्न है। मुकदमा नम्बर 523/88, 538/88 के खातेदारान / हितदारान के खिलाफ में एकतरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितदारान की ओर से मुआवजा राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता। तथा मुकदमा नम्बर 539/88, 537/88 553/88 के खातेदारान / हितदारान की ओर से क्लेम पेश किया गया है लेकिन बाजार दर के लिये विक्रय पत्र एवं क्लेम की पुष्टि में कोई ठोस दस्तावेजात पेश नहीं किये गये हैं। जो क्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना न्याय - संगत नहीं है।

12. लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिये भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव, ने अपने पत्र क्रमांक टीडी.आर/91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि धारा- 4के नोटीफिकेशन के समय ग्राम सांग्यावास, तहसील सांगानेर में 10,000/- रु.प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था। इसलिए जहां तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है वह दर उचित है।

13. हमने इस सम्बन्ध में उप-पंजीयक एवं तहसीलदार, सांगानेर के यहां से अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ था कि धारा-4 के गजट-नोटीफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण (1) ने अपने यू.ओ. नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा तहसील सांगानेर में धारा-4 की गजट नोटीफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर नहीं बताई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजनायें जयपुर

14. लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास भूमियों की मुआवजा राशि 24,000/- रु. प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये। एवं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री. के.पी. मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24,000/- रु. प्र. बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि कुछ समय पूर्व इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24,000/- रु. प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं।

210

15. अतः इस मामले में भी हम भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रु. प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा -4 के गजट नोटीफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

16. केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिये दो वर्ष की समयावधि निश्चित है। लेकिन खातेदारान/हितदारान द्वारा जो क्लेम पेश किये गये हैं। उसकी ताईद के कोई ठोस दस्तावेजात पेश नहीं किये गये हैं।

17. जहां तक पेड़-पौधों, सड़कें, कुऐं एवं भूमि पर बने मकानात एवं अन्य स्ट्रैक्चर्स का मुआवजा का प्रश्न है। मुकदमा नम्बर 531/88 के खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई रजिस्टर्ड वेल्युवर से प्रमाणित तकमीना पेश नहीं किया है तथा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या जविप्रा/जोन-7/91/110 दि० 24.6.91 के द्वारा प्रेषित अनुमोदित तकमीने प्रस्तुत किये हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत तकमीने अनुमोदित हैं। हम उक्त तकमीने से संतुष्ट हैं। अतः स्ट्रैक्चर्स का मुआवजा मुताबिक तकमीना प्राधिकरण के अनुसार निर्धारित करते हैं तथा मुकदमा नम्बर 539/88, 523/88, 538/88, 553/88 से सम्बन्धित खसरा नम्बरान की भूमि पर स्थित स्टेक्चर्स एवं पेड़-पौधों, कुए, सड़क के मुआवजे का प्रश्न है खातेदारान / हितदारान द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किये गये और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनिकी रूप से अनुमोदित तकमीने पेश किये गये हैं। ऐसी स्थिति में स्ट्रैक्चर्स, पेड़-पौधे (यदि कोई हैं) के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। इसका निर्धारण बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण से तकनिकी अनुमोदित तकमीने प्राप्त होने पर विचार कर नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा।

18. इस सम्बन्ध में भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक सम्बन्धी दस्तावेज पेश करने पर ही किया जावेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ठ "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है, में निर्धारण किया जा रहा है।

19. केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा--23(1)-ए 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की राशि भी देय होगी। जिसका निर्धारण उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30% सोलेशियम एवं 12% अतिरिक्त राशि भी देय होगी। जिसका निर्धारण परिशिष्ठ "ए" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है।

20. अतिरिक्त निदेशक (पृथक्) सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 को इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित हैं एवं अरबन सीलिंग अधिनियम 1976 से प्रभावित हैं लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अरबन सीलिंग अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

यह अवार्ड आज दिनांक 25.6.91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

संलग्नः. परिशिष्ठ "ए"
गणना तालिका

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

यह अवार्ड आज दिनांक 30/7/91 को
राज्य सरकार (नगरीय विकास विभाग) वि. आयोजना
विभाग अवाप्ति प्रकोष्ठ के पत्र क्रमांक
एफ 6(13) 204 का/87 पार्ट दिनांक 30-7-91
के द्वारा अवार्ड अनुमोदित होकर प्राप्त
हुआ है अतः अवार्ड आज दिनांक 30/7/91
को खुले इजलास में घोषित किया जाकर
पत्रावली के शामिल किया जाता है सचिव;
जा.वि.प्रा. को अवार्ड की एक प्रति
भेजी जावे खातेदारान को धारा
12(2) के नोटिस जारी हो।

30/7/91

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

क्र.सं.	मुकदमा नं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	अवाप्तिधीन भूमि का रकबा बी. बि.	मुआवजा दर	मुआवजा राशि	सोलेशियम 30%	अतिरिक्त 12%	स्टेक्चर्स कुआ व मकान का मुआवजा तकमीने के अनुसार	कुल योग
1.	539/88	छीतर, जगदीश, बद्री पु. लाला जांगिड़ ब्राह्मण	117	1-05	24,000/-	30,000/-	9,000/-	10689/-	====	49,689/-
2.	531/88	छीतर, जगदीश, बद्री, पु. लालाराम, गोविन्दा पु. चन्दा खाती सा. देह	75 76	20-10 3-00 23-10	24,000/-	5,64,000/-	1,69,200/-	2,00,953/-	[illegible]	9,34,153/-
3.	523/88	हरिनारायण उर्फ लल्लू पु. आनन्दीलाल कौम ब्राह्मण सा. देह	41 44 49	0-07 1-03 0-09 1-19	24,000/-	~~46,000/-~~ 46,800/-	14,040/-	16,675/-	======	77,515/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास [illegible]
जयपुर

क्रमशः——2/पर——